810

# बिहार सरकार
## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांकः–वि०प्रा०(II) व²–07/2017 – 781 /पटना, दिनांकः– 23/3/22

प्रेषक,

**लोकेश कुमार सिंह** भा०प्र०से०
सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बिहार।

विषयः– विभागान्तर्गत संचालित कुल 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत सभी सीटों पर बी0टेक0 पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत संचालित कुल 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत सभी सीटों पर बी0टेक0 पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) द्वारा संचालित जे0 ई0 ई0 (मेन) परीक्षा के मेधा के आधार पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा दो चक्रों की ऑनलाईन कॉउन्सेलिंग एवं एक समापन (MOP-up) कॉउन्सेलिंग के पश्चात यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो शेष रिक्त सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों (PCM समूह) में प्राप्तांक के मेधा के आधार पर प्रावाधानित है।

आप अवगत हैं कि राज्य अन्तर्गत सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सभी सुविधायुक्त भवन या तो निर्मित हो चुके हैं या निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। पूर्व से कई शिक्षक नियुक्त हैं एवं वर्तमान में भी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में यथासंभव छात्रावास की भी व्यवस्था है। साथ हीं प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु भी सुविधा उपलब्ध है एवं इसे और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। परन्तु यह देखा गया है कि छात्र/छात्राओं के बीच आवश्यक सूचना के अभाव के कारण विगत वर्षो में कतिपय सीटें रिक्त रह जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने संबंधित जिला में बिहार राज्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि के बारे में छात्र/छात्राओं को जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिला के 10+2 विद्यालयों से सम्पर्क कर छात्र/छात्राओं को उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत कराया जा सकता है। इस हेतु एक कार्य योजना तैयार कर समुचित कार्रवाई करें ताकि छात्र/छात्राओं को सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
23/3/2022

80
24.3.22